ग्राम पंचायत कुड्डी, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावना :—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कुड्डी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :—

प्रधानः—

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश शर्मा	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमति सुखाँ देवी	23.01.2016 से 31.03.2017

सचिवः—

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री नागेन्द्र सिंह	01.04.2014 से 08.09.2016
2	श्री शन्ति चन्देल	09.09.2016 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत कुड्डी, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.28
2	6	रोकड़ बही में सम्पूर्ण व्यय दर्ज न करना	0.28
3	7	संभावित गवन	0.69

4	9	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का प्रयोग	——
5	13	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.35
6	14	अनुदान की राशि का अवरोधन	26.85
7	15	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	1.24
8	17	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	1.07
9	18	लॉटरी की टिकटों हेतु अनुचित भुगतान	0.015
10	19	रद्द चैकों का पुनर्लेखांकन न करना	0.25
11	22	रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना	——
12	24	आय से सम्बन्धित रसीदों को गायब करके किया गया सम्भावित गवन	0.24
13	25	मस्ट्रौल पर किया गया संदिग्ध भुगतान तथा संभावित गवन	0.18
14	32	मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना	——

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत कुड्डी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01/06/2017 से 07/06/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 12/2014, 03/2016, 01/2017 व 09/2014, 07/2015 तथा 01/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत कुड्डी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/—97 दिनांक 07/06/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध

किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को हि. प्र. रा. स. बैंक कन्दरौर के चैक संख्या 884312 दिनांक 07–06–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	229882	11807	241689	42055	199634
2015–16	199634	52969	252603	18436	234167
2016–17	234167	9504	243671	34000	209671

4.2 अनुदानः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	1282717	3308813	4591530	2688608	1902922
2015–16	1902922	2609350	4512272	2434638	2077634
2016–17	2077634	4315709	6393343	3708473	2684870

5 बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर नियमानुसार तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.28 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2017 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹27,590 का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में दर्ज किया गया है।

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)	209671
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)	2684870
रोकड़ बहियों अनुसार अन्तशेष का कुल योगः		2894541

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	पंचायत निधि–खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	2009	209571
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	2010	861917
3	इन्दिरा/राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	6631	193233
4	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	5806	0
5	14 वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	2800	1380299
6	आई डबल्यू एम पी– लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	11143	7431
7	आई डबल्यू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक कन्दरौर	11142	214400
13	खाता 'क' की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			100
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः				2866951

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः	2894541
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः	2866951
अन्तर जो कि पंचायत निधि के खाता ''ख'' से सम्बन्धित हैः	27590

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार एवं प्रारूप 5 में रोकड़ बही के रखरखाव के सन्दर्भ में की गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही में वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय का दर्ज़ न करनाः–

गत पैरा 5 में जो ₹27,590 का अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के व्यय हेतु बैंक खातों से आहरित समस्त राशि को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण से दिनांक 31–03–2017 को बैंक खातों का शेष रोकड़ बहियों के अन्तशेष से कम पाया गया है। इसके कारणों की विभाग द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्ययतन (Updation) करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 बैंक खाता संख्या 11910102010 से वास्तविक व्यय से ₹0.69 लख का अधिक आहरण करके किया गया संभावित गवनः–

पंचायत निधि (खाता ''ख'') की रोकड़ बही व सम्बन्धित बैंक खाता की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार बैंक खाते से ₹69,232 का वास्तविक व्यय से अधिक आहरण किया गया है जिसके सन्दर्भ में न तो रोकड़ बही में प्रविष्टियां की गई हैं और न ही अंकेक्षण के दौरान कोई वाउचर प्रस्तुत किए गए।

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज व्यय (परिशिष्ट ''1'' के अनुसार)	बैंक खाते से आहरित राशि (परिशिष्ट ''2'' के अनुसार)	अधिक आहरित राशि
2014–15	1288424.00	1311659.00	23235.00
2015–16	582102.00	592910.00	10808.00
2016–17	2052203.00	2087392.00	35189.00
कुल योग	**3922729.00**	**3991961.00**	**69232.00**

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बैंक से ₹69,232 की अधिक आहरित राशि संभावित गवन की तरफ इंगित करती है। अतः इस सन्दर्भ में उच्चधिकारी स्तर पर विस्तृत जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनियमितता की परिस्थिति में इस राशि की वसूली उत्तरदायी से करते हुए नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत कुड्डी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त

बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। इनमें किसी भी प्रकार के आरम्भिक शेष/अन्तशेष (Opening/Closing Balances) नहीं लिखे/निकाले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9 नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में छः अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन छः रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

10 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

11 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों

में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कुड्डी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹35,280 की वसूली शेष थी।

1. **गृहकरः** पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 में 560, 2015–16 में 590 तथा 2016–17 में 614 परिवारों के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से प्राप्त करने अपेक्षित थे।

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	0	11200	11200	0	11200
2015–16	11200	11800	23000	0	23000
2016–17	23000	12280	35280	0	35280

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

14 अनुदान ₹26.85 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹26,84,870 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

15 बिना उचित बिलों के किया गया ₹1.24 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत कुड्डी के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹1,23,605 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'ख'			
1	12.9.14	15	मिट्टी की ढुलाई	5040
2	20.9.14	17	शटरिंग	1425
	मनरेगा			
3	5.9.14	16	रेत व बजरी	14200
4	20.7.15	41	रेत व बजरी	15750
5	20.7.15	41	रेत व बजरी	6750
6	20.7.15	41	शटरिंग	2000
7	20.7.15	41	रेत व बजरी	15750
8	20.7.15	41	रेत व बजरी	8400
9	20.7.15	41	ईंटें	5495
10	20.7.15	41	रेत	4500
11	20.7.15	41	ईंटें	4095
	आई डबल्यू एम पी			
12	21.8.15	05	ईंटें	21000
13	15.2.17	09	रेत	4800
14	31.3.17	10	बजरी (₹4800 के तीन बिल)	14400
	कुल योगः			**123605**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः—

गत पैरा में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं के चयनित मासों की जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर, ईंट इत्यादि निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.07 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,06,959 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो.ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख':—			
1	20.9.14	17	पलंबिंग का सामान	12055
	14वां वित्तायोगः—			
2	15.2.17	3	सरिया	10350
3	5.9.14	16	सरिया	7200
4	5.9.14	16	रेत व बजरी	15000
5	5.9.14	16	सरिया	7500
6	20.7.15	41	सरिया	7500
7	20.7.15	41	सरिया	5684

	आई डबल्यू एम पीः–			
8	15.2.17	09	रेत	4800
9	15.2.17	09	सरिया	22500
10	31.3.17	10	बजरी (₹4800 के तीन बिल)	14400
	कुल योगः			**106959**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 लॉटरी की टिकटों हेतु ₹1480 का अनुचित भुगतानः–

पंचायत निधि–खाता ''क'' की रोकड़ बही की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पृष्ठ 29 पर दिनांक 31–03–2016 को ₹1480 का भुगतान बिलासपुर जिला रैड क्रॉस के रैफरल ड्रॉ 2016 के 74 टिकटों के लिए टिकट संख्या 047477 से 047500 तथा 047301 से 047350 तक के लिए ₹20 प्रति टिकट की दर से किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 ₹0.25 लाख के रद्द चैकों का आय में पुर्नलेखांकन न करनाः–

पंचायत निधि खाता ''ख'' की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इसमें निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार ₹25,168 का चैक द्वारा भुगतान/व्यय दर्ज किया गया है। परन्तु इन चैकों को कभी भी बैंक से आहरित नहीं किया गया है। नियमानुसार चैक की वैधता अवधि 90 दिन के पश्चात इसे रद्द करते हुए आय में पुर्नलेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अब अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	चैक संख्या	बैंक खाता	राशि (₹)	व्यय का उद्देश्य
1	5.6.14	08	879228	2010	21768	श्री राकेश कुमार पुत्र दीना नाथ को ₹10034+11734 के दों बिलों का भुगतान
2	21.10.14	21	880937	2010	1050	पंचायत सदस्य को मानदेय का भुगतान
3	20.3.15	34	881340	2010	2350	पंचायत सदस्य को मानदेय का भुगतान
				कुल योग	**25168**	

20 नियमाविरूद्ध ₹1000 से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान अनिवार्यतः चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान नरेगा परियोजना के अतिरिक्त लगभग समस्त भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में कई—कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तीकर्ताओं को भुगतान नकद रूप में किया गया था। अंकेक्षण जांच के दौरान सामने आए कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। इस प्रकार के लेनदेन इन भुगतान की गई राशियों को संदिग्ध बनाते हैं तथा इस प्रकरण की विभागीय स्तर पर गहन जांच की आवश्यकता है।

क्र	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	आहरण चैक संख्या	आहरित राशि	आहरणकर्ता
पंचायत निधि खाता ''ख'' बचत खाता संख्या 11910102010:—					
1	04.07.15	46	882558	11050	नागेन्द्र, पंचायत सचिव
2	04.07.15	46	882560	16590	गोपाल सिंह, उप—प्रधान
	कुल योगः—			**27640**	

उपरोक्त तालिका में उद्धृत आहरण प्रकरणों के विरूद्ध अलग—अलग आपूर्तीकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को एकाधिक भुगतान रोकड़ बही में दर्ज किए गए हैं। अतः इस नियम विरूद्ध कार्य प्रणाली को अपनाए जाने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कुड्डी के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एकाधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	प्रयुक्त की गई अन्तिम रसीद	अन्तिम दिनांक/माह	खाली पड़ी रसीदें
1	172901 से 173000	172995	8/2016	5
2	173901 से 174000	173915	22.5.2017	85
3	173501 से 173600	173501	30.3.2015	99
4	066801 से 066900	066872	11.12.2009	28
5	066901 से 067000	066922	24.09.2009	78
6	066401 से 066500	066444	10.12.2010	56

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

22 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाण पत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम

पंचायत कुड्डी में इस सन्दर्भ में जो अभिलेख तैयार किया गया है वह अंकेक्षण जांच के दौरान अपूर्ण पाया गया है तथा जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त सभी रसीदों का उसमें लेखांकन नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत रसीदों का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न करना तथा एक बड़ी राशि का सम्भावित गवनः–

ग्राम पंचायत कुड्डी के प्रस्तुत लेखाओं/रोकड़ बहियों तथा सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि लगभग बीस रसीद बुकों को हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 ''रसीदों का स्टॉक रजिस्टर'' में दर्ज ही नहीं किया गया है। विभिन्न पंचायतों के अंकेक्षण के दौरान प्रायः यह देखने में आया है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा ''प्रारूप–3'' की रसीदें 10 रसीद बुकों (1000 रसीदें) के समूह में ही पंचायतो ंको जारी की जाती हैं। सचिव पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर यह प्रतीत होता है कि जिला पंचायत अधिकारी से रसीद संख्या 172001 से 173000 (1000 रसीदें) तथा 173001 से 174000 (1000 रसीदें) कुल 2000 रसीदें अथवा 20 रसीद बुकें प्राप्त की गई थीं। परन्तु इन रसीद बुकों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखाकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इन 20 रसीद बुकों में से मात्र तीन (172901 से 173000, 173501 से 173600 तथा 173901 से 174000) ही अंकेक्षण के दौरान पंचायत अभिलेख में उपलब्ध पाई गई हैं। इस प्रकार से 1700 रसीदों का अभिलेख से गायब पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता तथा बड़े सम्भावित गवन की ओर इंगित करता है। अतः इस प्रकरण की उच्चाधिकारी स्तर पर विभागीय जांच की जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर अपेक्षित राशि की वसूली के अतिरिक्त दोषी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 रोकड़ बही में दर्ज ₹0.24 लाख की आय से सम्बन्धित रसीदों को गायब करके किया गया सम्भावित गवनः–

गत पैरा में वर्णित रसीदों में से ही रसीद संख्या 173001 से 173079 द्वारा ₹23700 की आय निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार पंचायत निधि खाता ''क'' की रोकड़ बही में दर्ज की गई हैः–

क्र	दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	रसीद संख्या	राशि
1	11.9.14	16	173001 से 173060	18000
2	21.10.14	21	173061 से 173067	2100
3	11.11.14	25	173068 से 173078	3300
4	20.11.14	26	173079	300
			कुल योगः–	**23700**

परन्तु उपरोक्त रसीदों के अधपन्ने अथवा शेष बची खाली रसीदें अंकेक्षण हेतु अभिलेख में नहीं पाई/प्रस्तुत की गई हैं। इस कारण से रोकड़ बही में दर्ज उपरोक्त राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका है और न ही इस बात की जांच की जा सकी है कि शेष बची 21 रसीदों से कितनी राशि एकत्र की गई है। रसीदों का अभिलेख में उपलब्ध न होना सम्भावित गवन की ओर इंगित करता है। अतः इस प्रकरण की उच्चाधिकारी स्तर पर विभागीय जांच की जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर अपेक्षित राशि की वसूली के अतिरिक्त उत्तरदायी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 मस्ट्रौल पर किया गया ₹0.18 लाख का संदिग्ध भुगतान तथा संभावित गवनः–

आई. डबल्यू. एम. पी. परियोजना के अन्तर्गत रोकड़ बही के पृष्ठ 06 व 07 पर दिनांक 22.03.2016 को ''सिंचाई योजना अली खड्ड से गांव बिल्ला'' में लगाए गए पांच मजदूरों व एक मिस्त्री से सम्बन्धित मस्ट्रौल का ₹17,988 का भुगतान दर्ज किया गया है जिसकी छायाप्रति सन्दर्भ हेतु **परिशिष्ट ''3''** पर संलग्न है। परन्तु अंकेक्षण जांच के दौरान पाई निम्नलिखित विसंगतियों के कारण यह भुगतान संदिग्ध तथा एक संभावित गवन प्रतीत होता हैः–

1. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा करवाए जा रहे निर्माण/विकास कार्यों में मजदूरों की हाजिरी हेतु जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा जारी मस्ट्रौल का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। परन्तु सन्दर्भित कार्य विशेष में जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा जारी मस्ट्रौल के स्थान पर बाजार से खरीदे गए सामान्य मस्ट्रौल का प्रयोग किया गया है।
2. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(4) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर का अनुरक्षण करना तथा मस्ट्रौल जारी करने का क्रमांक लगाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में मस्ट्रौल को न तो सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया गया है और न ही इस पर जारी करने का क्रमांक लगाया गया है।

3. मूल रूप से यह मस्ट्रौल दिनांक 01.11.2015 से 30.11.2015 की अवधि के लिए जारी किया गया दर्शाया गया है जिसे दिनांक 15.11.2015 के पश्चात बन्द करते हुए दिनांक 16.11.15 से 30.11.15 की अवधि को सीधी रेखा खींच कर काट दिया गया है परन्तु बाद में इसमें दर्शाई गई हाजरियों से छेड़छाड़ करते हुए पांचों मजदूरों की हाजिरी 15 दिन से बढ़ाकर 18 दिन की गई है। जिसका भुगतान ₹170 प्रतिदिन की दर से ₹2550 बनता है।

4. इस मस्ट्रौल में किए गए कार्य को हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के अध्याय 11 में दिए गए नियम 93 से 107 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किसी तकनीकी अथवा अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा न तो सत्यापित किया गया है और न ही किए गए कार्य का विस्तृत विवरण इसमें लिखा गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस मस्ट्रौल के विरूद्ध किया गया ₹17988 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है तथा संभावित गवन की ओर इंगित करता है। अतः यह प्रकरण विभाग के उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है जिसकी विस्तृत विभागीय जांच करके तथ्यों को स्पष्ट किया जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर उत्तरदायी से यथोचित वसूली के अतिरिक्त नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमाविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क के अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाता है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। इन शुल्कों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इस मद में एकत्र राशि का कोई विवरण संकलित नहीं किया गया है, और न ही सम्बन्धित रजिस्टरों में वसूली के बारे में कोई सन्दर्भ दिया गया है। इस अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण के दौरान न तो इस मद में एकत्र कुल राशि की जानकारी उपलब्ध हो पाई और न ही इसकी अंकेक्षण जांच की जा सकी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 भुगतान आदेश पारित किए बिना बिलों का भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की चयनित माह हेतु अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत कुड्डी में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

31 इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना के लाभार्थियों के संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

अंकेक्षाणावधि के तीन वर्षों 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा लाखों रुपये चयनित लाभार्थियों को गृह निर्माण हेतु आबंटित किये गए हैं। परन्तु पंचायत में इन लाभार्थियों के सन्दर्भ में रोकड़ बही में भुगतान प्रविष्टियों तथा वाउचर नस्तियों में रसीद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। अंकेक्षण में न तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची और न ही आवेदन पत्र, मकान बनाए जाने के स्थान की जमाबन्दी/ततीमा इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34(25) के प्रावधानों की अवहेलना है। अतः इस बारे में तथ्यपूर्ण उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उपरोक्त अभिलेख उचित प्रारूप में तैयार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

32 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणन उपरान्त जारी मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत कुड्डी द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की सर्वथा अवहेलना की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।
2. मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित किया गया है और न ही किए गए कार्य का विवरण दर्ज किया गया है जिससे कि भुगतान किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जा सके।

3. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके तथा सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 मनरेगा रोकड़ बही का अधूरा अनुरक्षण व वाउचरों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:–

मनरेगा परियोजना के अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि माह 09/2016 के पश्चात रोकड़ बही का अनुरक्षण अधूरे व अनियमित तरीके से किया गया है। आय व्यय के विवरण में परियोजना के सन्दर्भ में ऑनलाइन उपलब्ध रोकड़ बही के आंकड़ों के आधार पर मात्र कुल मासिक योग की प्रविष्टि कर दी गई है परन्तु न तो इसका विस्तृत विवरण दर्ज है (जिसके लिए बही में खाली पृष्ठ छोड़े गए हैं) और न ही सम्बन्धित वाउचर उपलब्ध हैं। इसके बारे में अंकेक्षण में स्पष्टीकरण दिया गया कि ग्राम रोजगार सहायक पिछले काफी समय से अनुपस्थित है तथा उपरोक्त समस्त अभिलेख उसी के संरक्षण में है। ग्राम रोजगार सहायक की अनुपस्थित बारे खण्ड विकास अधिकारी सदर बिलासपुर को भी ग्राम पंचायत के दिनांक 20.05.2017 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा सूचित किया जा चुका है। एक सरकारी कर्मचारी की इतने समय तक अनुपस्थिति तथा उस पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही का न किया जाना एक अति गम्भीर प्रकरण है। अतः इस बारे में नियमानुसार उचित कार्यवाही करते हुए मनरेगा रोकड़ बही तथा अभिलेख का अद्यतन (Update) सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना:–

ग्राम रोजगार सहायक की अनुपस्थिति में पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टर:–** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर में मस्ट्रौल को जारी करने से लेकर भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण जैसे जारी करने की दिनांक, दिहाड़ीदार की कार्ड संख्या, कार्य का नाम, रोजगार अवधि, किए गए कार्य दिवस, भुगतान का ब्यौरा जैसे दिनांक, राशि, रोकड़ बही का पृष्ठ इत्यादि सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने के स्थान इनमें से मात्र आधी अधूरी जानकारी ही दर्ज की जाती है।

2. **अधूरे रोजगार कार्डः—** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

3. संलग्न **परिशिष्ट '4'** पर दर्ज टिप्पणी के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹41,34,626 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट "4"** के अनुसार 23925 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः—** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

35 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

ग्राम पंचायत कुड्डी के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **"परिशिष्ट –ई"** में दिए गए अनुबन्ध प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2. निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

3. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कत आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

7. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए

अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

36 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डार रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कुड्डी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें खरीदी गई सामग्री को दिनांकवार निरन्तर क्रम में दर्ज किया गया है न कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इसे किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों दर्ज ही नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है तथा सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

37 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

38 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	——	——

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

39 पंचायत पदाधिकारियों को देय मानदेय के सम्पूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मानदेय रजिस्टर में मात्र

भुगतान की प्रविष्टियां ही दर्ज की जाती हैं। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

40 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

41 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 24/2017–खण्ड–1–6614–6617, दिनाँक, 6.11.17
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत कुडडी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046